न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

शुभम हाऊसिंग डव. फा. कं. बनाम विजेन्द्र

प्रकरण संख्या 191/2018 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से बंधक संपत्ति के दस्तावेजों की फोटोप्रति व 13(2) के नोटिस की एडी/ट्रेकिंग रिपोर्ट आदि दस्तावेज आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	